उ0प्र0 विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2024 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित नियम-123 के अन्तर्गत श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य विधान परिषद् द्वारा पूछे गये अल्पसूचित प्रश्न संख्या-3 का उत्तरालेख

प्रश्न संख्या	प्रश्न	उत्तर
03(क)	क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रधानाचार्यों के राजकीय विद्यालयों में कितने पद रिक्त है?	उ0प्र0 शैक्षिक(सामान्य शिक्षा संवर्ग) समूह-ख उच्चतर के अन्तर्गत प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज के 510 पद रिक्त हैं, जिसमें से सीधी भर्ती के 136 एवं 374 पदोन्नति के हैं।
(ख)	इनकी पदोन्नति की क्या प्रक्रिया है?	उ0प्र0 शैक्षिक(सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा नियमावली-1992 के समूह ख उच्चतर के 50 प्रतिशत पदों के सापेक्ष उपलब्ध रिक्तियों को तीन स्त्रोतो यथा शिक्षण पुरूष शाखा, महिला शाखा एवं निरीक्षण शाखा के अधिकारियों से वरिष्ठता के आधार पर विहित प्रक्रियानुसार क्रमशः 61 प्रतिशत, 22 प्रतिशत एवं 17 प्रतिशत के अनुपात में लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था है।
(ग)	रिक्त प्रधानाचार्यों के पदों को भरे जाने के क्या प्रयास किये गये है?	याचिका संख्या-31192/2017 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 24.07.2021 के अनुपालन में रिक्त पदों को भरे जाने की प्रक्रिया स्थगित रही। प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.01.2024 के क्रम में नियमावली संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
(घ)	रिक्त पद कब तक भरे जाने है?	मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.01.2024 के अनुपालन में नियमावली संशोधन होने के उपरान्त।
(ड)	क्या रिक्त पदों को भरे जाने की सूचना सदन की मेज पर रखेंगे?	जी हाँ, उक्तवत।
(च)	यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

गुलाब देवी
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)